



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 01/जेंडर संवेदनशीलता समिति/533

तिथि: 28.08.2015

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय परिसर को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित को 'जेंडर चैम्पियन' नामित किया जाता है-

1. सुश्री प्रीतिमाला (स्त्री अध्ययन विभाग)
2. सुश्री मधुप्रिया (भाषा विद्यापीठ)
3. श्री आशुतोष पांडेय (समाजकार्य विभाग)
4. श्री संजीव झा (तुलनात्मक साहित्य)

'जेंडर चैम्पियन' मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़ 28/08
(कादर नवाज़ ख़ान)

प्रति: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. समन्वयक, जेंडर संवेदनशीलता समिति
3. विश्वविद्यालय के सभी विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
4. कुलसचिव कार्यालय
5. अकादमिक संयोजक
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपलोड करने के लिए।
7. कार्यालय प्रति।